रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042023-245399
CG-DL-E-25042023-245399

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08] **नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2023/वैशाख 5, 1945**
No. 08] **NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2023/VAISAKHA 5, 1945**

भारत निर्वाचन आयोग

निदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2023

आ.अ. 8(अ).—यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंध किया गया है कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों के अभिलेखन की यथाविहित ऐसी रीति अपनाई जाए, जैसी कि भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और

2. यत:निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे डिजाइन वाला ड्राप बॉक्स युक्त एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मत के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए; और के चालू उप निर्वाचनों के लिए उपयुक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों

3. यत:,निर्वाचन आयोग ने **प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./25/2023 दिनांक 29 मार्च, 2023 के तहत घोषित पंजाब में 04-जालंधर (अ0जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा के 07-झारसुगुडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 395-छानबे (अ0जा0) और 34-सुआर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और मेघालय के 23-सोहिआंग (अ0ज0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चालू उप निर्वाचनों में** सभी निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि उपर्युक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक, इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) एवं वीवीपैट प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

4. अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा **दिनांक 13.04.2023 को अधिसूचित पंजाब में 04-जालंधर (अ0जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा के 07-झारसुगुडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 395-छानबे (अ0जा0) और 34-सुआर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और मेघालय के 23-सोहिआंग (अ0ज0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को** ,ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिनमें निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 और इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

5. निर्वाचन आयोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलोर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा विकसित किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटरों, जिन्हें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और रिकॉर्ड करने के लिए उक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्द्वारा अनुमोदित करता है।

[सं. 576/3/ईवीएम/2023/एसडीआर/खण्ड–II]

आदेश से,

एस.बी.जोशी, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

DIRECTION

New Delhi, the 24th April, 2023

O.N. 8(E).—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify;

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct;

3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in **bye-elections in 04-Jalandhar (SC) Parliamentary Constituencyin Punjab, 07-Jharsuguda Assembly Constituency of Odisha, 395-Chhanbey (SC) & 34-Suar Assembly Constituencies of Uttar Pradesh and 23-Sohiong (ST) Assembly Constituency of Meghalaya announced vide the Election Commission's Press Note No. ECI/PN/25/2023 dated 29th March, 2023** and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail(VVPAT)] are available for taking the poll in the above said Parliamentary Constituency and Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT Printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby **specifies 04-Jalandhar (SC) Parliamentary Constituencyin Punjab, 07-Jharsuguda Assembly Constituency of Odisha, 395-Chhanbey (SC) & 34-Suar Assembly Constituencies of Uttar Pradesh and 23-Sohiong (ST) Assembly Constituency of Meghalaya notified on 13th April, 2023,** as the constituencies in which the votes, shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

[No. 576/3/EVM/2023/SDR-Vol.-II]

By Order,

S. B. JOSHI, Principal Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA